(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 78–पीबीआर/17 विरूद्ध सीमांकन दिनांक 11–5–16 एवं सीमांकन आदेश दिनांक – पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–सांची तहसील व जिला रायसेन प्रकरण कमांक 15/अ–12/2015–16.

जनरेल सिंह वल्द दशरथ सिंह
कृषक एवं निवासी ग्राम खरबई
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती नीरा तिवारी पत्नी सुनील तिवारी
कृषक ग्राम खरबई
तहसील व जिला रायसेन
निवासी 20, एम.आई.जी. सेक्टर बी
सोनागिरी, भोपल ..... अनावेदिका

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 2/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–सांची तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित सीमांकन दिनांक 11–5–16 एवं सीमांकन आदेश दिनांक – के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा उसके स्वत्व एवं स्वामित्व की ग्राम खरबई स्थित सर्वे कमांक 84/1/1/1 रकबा 1.617 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–12/2015–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक

11–5–16 को सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाना आज्ञापक प्रावधान है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में विस्तृत उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है और राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का पालन करते हुए सीमांकन किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह आधार भी लिया गया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का न तो भूमिस्वामी है और न ही उसकी भूमि, प्रश्नाधीन भूमि से लगी हुई है । ऐसी स्थिति में आवेदक को सीमांकन कार्यवाही में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि आवेदक तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2016 आर.एन. 185, 1998 आर.एन. 106, 1996 आर.एन. 357, 2014 आर.एन. 96 एवं 2014 आर.एन. 259 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना पत्र की तामीली कराये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जबकि आवेदक हितबद्ध पक्षकार है, अतः राजस्व निरीक्षक को आवेदक पर विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर, उसकी उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिए था । इस संबंध में 1998 आर.एन. 106 सेंधवा क्लब तथा एक अन्य

विरूद्ध म.प्र. शासन तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 129–सीमांकन–हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।" राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में फील्ड बुक भी संलग्न नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल–सांची तहसील रायसेन जिला रायसेन द्वारा पारित सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 11–5–16 एवं सीमांकन आदेश निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर